न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

A-3101-III/14

प्र.क्र. /2014 अपील

श्रीमती अन्नूदेवी पटेल सुभाष पटेल
निवासी–नई गढ़ी तहसील मऊगंज
जिला–रीवा (म.प्र.)

– अपीलार्थी

विरूद्ध

1. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प रीवा
2. म.प्र. शासन द्वारा उपपंजीयक
   रीवा (म.प्र.)

– प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभागी रीवा द्वारा प्र.क्र. 702/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21.07.14 के विरूद्ध स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47–क (4) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. (क) अपीलार्थी का पूरा नाम, पिता का नाम या पति का नाम, व्यवसाय तथा पता : उपर्युक्त उनमानानुसार व्यवसाय – गृहस्थ अपीलार्थी

   (ख) लिखित का निष्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम पिता का नाम या पति का नाम व्यवसाय तथा पता : दीनानाथ पाण्डेय पुत्र जालेश्वर प्रसाद, निवासी–ग्राम बहुती तहसील हनुमना, जिला–रीवा

   (ग) लिखित के अधीन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पिता का नाम या पति का नाम, व्यवसाय तथा पता : उपर्युक्त उनमानानुसार अपीलार्थी

   (घ) लिखित की तारीख तथा : 17.06.09 विक्रय पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 3101–तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2017	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं शासकीय पैनल अधिवक्ता श्री राजीव गौतम द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया जिससे अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 4–9–12 के विरूद्ध 18–7–14 अर्थात लगभग दो वर्ष पश्चात अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपर आयुक्त ने अपीलार्थी की अपील को ग्राह्यता के स्तपर ही खारिज की है। अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अधिकतम समयावधि एक माह प्रावधानित की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब के संबंध में मात्र यह तर्क कि जब उसके द्वारा संबंधित बाबू से पूछा तक कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हुई, मान्य नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा 2 वर्ष तक अपने विकय पत्र के पंजीयन के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की गई होगी। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के संबंध में समाधानकारक ठोस कारण नहीं दर्शाये इसलिए अपर आयुक्त ने अपीलार्थी की अपील को दो वर्ष से विलंबित मानते हुये खारिज की है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।	

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 21–7–2014 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजें तथा प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य